जयपुर, मार्च 21, 1978

संख्या 2 (9) राज/ 8/78:— चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है;

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रद[illegible] शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/ सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि [illegible] बंजर-भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त कर[illegible] और ऐसे जांच व अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7,8, 10, 11 (1), 12, 14, [illegible]7, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

[illegible]र उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर-भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से [illegible] थित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना, या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

[illegible] अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)
[illegible]य अनुसूची ([illegible]रक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
1.	गजनेर	कोलायत	बीकानेर	उत्तर—बीकानेर से कोलायत जाने वाली सड़क पूर्व—बीकानेर सड़क से ग्राम गजनेर वाली सड़क व स्पोर्ट कम्पलेक्शन का रकबा दक्षिण—स्पोर्ट कम्पलेक्शन का रकबा व पड़त जमीन राज पश्चिम-गोचरी सरहद व पड़त रकबा राज	ग्राम गजनेर की आराजी भूमि 1 4 4 4 4 4 4 4 1/2 23 26 27 28 29 30 47 48 55 96 99 1 2/1 99 99 187, 188, 189, 2/2 2/3 190, 194, 197, 126, 100, 179 101, 102, 53, 54, 97, 98 3

कुल रकबा 1030[illegible]

सूची जो रेवेन्यू विभाग से वन विभाग के निवर्तन में लिया गया ग्राम गजनेर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर

क्रम संख्या	खसरा नम्बर	रकबा बीघों में	इन्द्राज
1.	1	149॥)8	राजस्थान-सरकार
2.	4/1/2	3707)1	,,
3.	4/23	53)	,,
4.	4/26	12)	,,
5.	4/27	13॥)	,,
6.	4/28	160॥)	,,
7.	4/29	12।)	,,
8.	4/30	170॥)	,,
9.	47/1	1।)	,,
10.	48	3॥)2	,,
11.	55	57॥)3	,,
12.	96	1442)3	,,
13.	99/2/1	14)	,,
14.	99/2/2	5)	,,
15.	99/2/3	3236।॥)1	,,
16.	187	।)4	,,
17.	188	।)3	,,
18.	189	54॥)	,,
19.	190	3।)1	,,
20.	194	27)	,,
21.	197	38॥)	,,
22.	126/179	810/3	,,
23.	100	48/	,,
24.	101/3	40॥)2	,,
25.	102	20)4	,,
26.	53	11॥)	,,
27.	54	179।)	,,
28.	97	37।॥)3	,,
29.	98	50)3	,,
	योग····	10361॥) बीघा	

(293)

राजस्थान सरकार

पर्यावरण विभाग

सं0 एफ 3(5)(1)पर्या/74

जयपुर, दिनांक :- 25.9.85.

5485
(8.10.85)

अधिसूचना

वन्य जीव(सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की उपधारा (1) धारा 18 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार वन्य जीवों के महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा, निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में गजनेर अभयारण्य के नाम से जाना जावेगा, अर्थात्

अनुसूची

उत्तरी सीमा:- गजनेर कोलायत राष्ट्रीय मार्ग/15 सड़क, जारीं, मोटावता गंगापुरा, मोडिया मानसर एवं कोडमदेसर ग्राम की सीमा ।

पश्चिमी सीमा:- गोलरी, इन्दोंका बाला, किशन सिंह ढाणी एवं चाणी गांव की सीमा ।

दक्षिणी सीमा:- गजनेर कोलायत रेल्वे लाईन, चाण्डासर गांव की सीमा ।

पूर्वी सीमा:- गजनेर गांव, मंहत और बाग, गजनेर कोडमदेसर पक्की सड़क ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एस0 के0 वर्मा)
उप शासन सचिव ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर ।
2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
3- समस्त निजी सचिव, मंत्री/ उप मंत्री, राजस्थान जयपुर।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।

पृ0प0उ0

5- समस्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर ।

मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर ।

[illegible]

8- जिलाधीश, बीकानेर । कृपया वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 19 से 26 तक के अनुसार अधिकारों की जाँच आदि की आवश्यक कार्यवाही करें एवं इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही से राज्य सरकार को समय समय पर अवगत करावें ।

~~समस्त सदस्य राजस्थान वन्य जीव सलाहकार मंडल ।~~

9- वार्षिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक अनुभाग-8 को अतिरिक्त 10 प्रतियों सहित ।

10- गार्ड फाईल ।

उप शासन सचिव।

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

3- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर

4- समस्त सदस्य राजस्थान वन्य जीव सलाहकार मंडल ।

5- समस्त अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।

6- सचिव, भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, वन्य जीव विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली ।

उप शासन सचिव।

प्रतिलिपि अधीक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।

उप शासन सचिव।

:: कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक/5ख(1)9(विकास/नोटि./गजनेर/77-78/ 9 2-54-55 दिनांक:-1)

प्रतिलिपि मण्डल वन अधिकारी, बीकानेर, वन्य जीव प्र[illegible] बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

वन संरक्षक, (वन्य जीव)
राजस्थान जयपुर ।

प्रतिलिपि [illegible] [illegible] बीकानेर (उत्तर)/(दक्षिण) [illegible] जीव 55 [illegible]

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील/लैण्ड रिफोर्म/115/96 बीकानेर

अखिल भारतीय सार्वजनिक संस्थान कलकत्ता जरिये पावर ऑफ एटोर्नी श्री मोतीलाल राठी पुत्र श्री नारायण दास राठी बीकानेर हाल निवासी जेकब रोड, जयपुर।

--अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, बीकानेर।
2. श्रीमती सुशीला पत्नी स्व0 डॉ0 करणी सिंह जी भू0 पू0 नरेश, बीकानेर।
3. प्रभारी अधिकारी वन्य जीव प्रतिपालक, बीकानेर।

--रेस्पोडेन्टस

(2) अपील/टी. ए./4/97/बीकानेर

राजमाता सुशीला कुमारी पत्नी स्व0 डॉ0 करणी सिंह जी, भू0 पू0 नरेश, लालगढ पेलेस, बीकानेर।

--अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बीकानेर।
2. प्रिंसेज राजश्री कुमारी पत्नी श्री एम.जे.गोहेल, लालगढ पेलेस, बीकानेर।
3. श्री अरविन्द सिंह मेवाड पुत्र स्व0 हिजहाइनेस महाराणा भगवती सिंह जी मेवाड, पेलेस उदयपुर।
4. श्री राजसिंह डूंगरपुर पुत्र महारावल स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह जी निवासी डूंगरपुर।
5. श्री नरीमन मानकशा मार्फत मानकशा एवं सेठना बम्बई।
6. महाराजा श्री नरेन्द्र सिंह जी पुत्र स्व0 हिजहाइनेस महाराजा डॉ0 करणीसिंह जी नरेन्द्र निवास, बीकानेर।
7. प्रिसेंज मधुलिका कुमारी पत्नी श्री राजवीर सिंहजी, लालगढ, बीकानेर।
8. संचालक, अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान, 76, जमनालाल बजाज स्ट्रीट, कलकत्ता।
9. प्रभारी अधिकारी वन्य जीव प्रतिपालक, बीकानेर।

--रेस्पोडेन्टस

खण्ड पीठ

श्री बी. बी. महान्ति, सदस्य
श्री एम. एल. जैन, सदस्य

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

उपस्थित–

(1) अपील सं0 115/96 में :–

श्री श्री पी. एस. दशोरा, अभि0 अपीलांट।
श्री जे.पी.माथुर, राजकीय अभि0 रेस्पो0सं0 1 व 3 के।
श्री जे. के. पुरोहित, अभि0 रेस्पो0 सं0. 2 के।

(2) अपील सं0 4/97 में :–

श्री जे. के. पुरोहित, अभि0 अपीलांट।
श्री जे.पी.माथुर, राजकीय अभि0 रेस्पो0सं0 1 व 9 के।
श्री पी. एस. दशोरा, अभि0 रेस्पो0 8 के।
रेस्पो0सं0 2 से 7 की तलबी आवश्यक नहीं (आदेश दि0 10.6.97 से)

दिनांक– 6/8/03

निर्णय

द्वारा– श्री एम. एल. जैन, सदस्य

उक्त दोनों अपीलें Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (संक्षेप में 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट') की धारा 10 (2) के अधीन क्षतिपूर्ति आयुक्त (सम्भागीय आयुक्त), बीकानेर के आदेश दिनांक 14.10.96 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलों में तथ्य, परिस्थितियां एवं निर्धारण योग्य बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाता है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. इस प्रकरण में 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्कालीन 'एस्टेट' के पूर्व शासक (Landowner) की 'एस्टेट' को अवाप्त करने के सम्बन्ध में कलक्टर, बीकानेर द्वारा दिनांक 19.12.75 को निर्णय पारित किया गया जिसमें पूर्व शासक की स्वामित्व की विभिन्न जिलों में 'एस्टेट' के 'एक्वीजिशन' के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया। इनमें से गजनेर 'एस्टेट' से सम्बन्धित भूमि का क्षेत्रफल 15806 बीघा मानते हुए इनमें से केवल ख0नं0 50, 60, 61, 66/1, 65, 43/1 व 51 की कुल 224 बीघा 4 बिस्वा भूमि को निजी सम्पत्ति की 'इन्वेन्ट्री' की सूची में शामिल माना व उसे अवाप्ति से मुक्त रखने के आदेश दिये गये। शेष भूमि को आवाप्त करने के आदेश दिये गये। इसके

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

पश्चात् पूर्व शासक द्वारा आपत्ति उठाने पर कलक्टर, बीकानेर द्वारा क्षतिपूर्ति आयुक्त राजस्व मण्डल के पास 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 10 (2) का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बाद में क्षेत्राधिकार बदलने से सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को क्षतिपूर्ति आयुक्त नियुक्त करने के कारण क्षतिपूर्ति आयुक्त, बीकानेर द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 14.10.96 पारित किया गया। क्षतिपूर्ति आयुक्त, बीकानेर के समक्ष गजनेर 'एस्टेट' की अवाप्त योग्य भूमि 16745.12 बीघा भूमि की सूची प्राप्त हुई। इस भूमि में से 4037 बीघा 5 बिस्वा भूमि नामी तीतरों का बाडा तत्कालीन शासक डॉ० करणीसिंह द्वारा दिनांक 28.2.70 को अपने पुत्र नरेन्द्रसिंह को विक्रय कर दी गई थी। उसके पश्चात् नरेन्द्र सिंह द्वारा यह भूमि अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान कलकत्ता को अर्पण (Dedicate) कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी डॉ० करणी सिंह पूर्व शासक, अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान, कलकत्ता एवं राज्य सरकार के अभिकथनों के आधार पर 4 वाद बिन्दु निर्धारित किये गये जो इस प्रकार हैं:–

"1. आया जिन सम्पत्तियों के संबंध में रेफरेन्स किया गया है वे धारा 10 (2) राजस्थान लैण्ड रिफोर्मस एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर एक्ट, 1963 के अन्तर्गत अवाप्ति से मुक्त है।

2. आया उपरोक्त भूमियों में से विपक्षी उत्तर के मद सं0 1 से 3 में अंकित भूमियों 'भूमि' की तारीफ में नहीं आती। इसलिए अवाप्त योग्य नहीं है और क्या यह प्रसंग क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा निश्चित किया जा सकता है ?

3. क्या विक्रय–पत्र दिनांक 28.2.70 की तारीख पर उक्त अधिनियम, 1963 में ऐसे विक्रय–पत्र पर कोई प्रतिबंध था अथवा संशोधन द्वारा 7 (ए) भूतलक्षीय है।

4. क्या स्टेट द्वारा अपने जवाब के पैरा नं0 3 में डॉ0 करणीसिंह द्वारा दिनांक 28.2.70 को नरेन्द्रसिंह के हक में किया गया हस्तान्तरण सही मान लेने तथा पैरा संख्या 5 में नरेन्द्रसिंह द्वारा संस्थान के हक में किया गया हस्तान्तरण सही मान लेने की सूरत में न्यायालय जिला जज, बीकानेर द्वारा न्यास के पक्ष में पारित पंचाट दिनांक 20.5.85 तथा डिग्री दिनांक 4.2.86 को स्टेट के पक्षकार ना होने पर भी चुनौती देने से 'एस्टोप्ड' है।"

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

3. अधीनस्थ न्यायालय ने इन वाद बिन्दुओं पर रिकार्ड, साक्ष्य एवं कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलक्टर, बीकानेर द्वारा पूर्व में अवाप्ति से मुक्त रखी गई भूमि को छोडकर 'एस्टेट' की शेष सभी भूमियों को 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' के प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्त किये जाने योग्य पाते हुए उनकी अवाप्ति के आदेश दिनांक 14.10.96 को पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत हुई हैं।

4. इस न्यायालय के समक्ष अपीलें प्रस्तुत होने पर वन विभाग की ओर से आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि पूर्व में राज्य सरकार के आदेश की पालना में 10361 बीघा भूमि जिसे राजस्थान वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत रक्षित वन क्षेत्र घोषित कर गजनेर 'सेंचुरी' के रूप में अधिसूचित कर कब्जा सम्भला दिया गया था इसलिए वन विभाग को भी आवश्यक पक्षकार मण्डल के आदेश दिनांक 15.11.2002 द्वारा बनाया गया।

5. अपीलांट की मुख्य आपत्तियां वे ही हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थीं कि :–

1. इन्वेन्ट्री की सूची में गजनेर 'एस्टेट' की अवाप्तशुदा भूमि होने के कारण वह निजी सम्पत्ति होने से अवाप्त मुक्त है।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवाप्त की गई भूमियां 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 2 (f) में दी गई भूमि की परिभाषा में नहीं आती।

3. भूमियां Open enclosure में आने के कारण व घरेलू उपयोग की होने के कारण 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 10 (1) के तहत अवाप्ति से मुक्त है।

4. अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान की आपत्ति है कि जो हस्तान्तरण 1975 के पूर्व, पूर्व शासक द्वारा नरेन्द्रसिंह के पक्ष में व नरेन्द्रसिंह द्वारा अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान के पक्ष में किया गया ऐसी 4037 बीघा 5 बिस्वा भूमि तीतरों का बाडा है उसकी अवाप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि 'लैण्ड ऑनर एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' 1963 की धारा 7 A के प्रावधान भूतलक्षीय नहीं हैं क्योंकि धारा 7 A वर्ष 1975 में अधिनियम में संशोधन कर सम्मिलित की गई थी।

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

6. इन आपत्तियों के जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक विवाद बिन्दु पर सुविचारित एवं सुविवेचित निर्णय दिया है जो रिकार्ड, साक्ष्य के सन्दर्भ में विधि सम्मत है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

7. हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया।

8. जहां तक बीकानेर के तत्कालीन शासक की निजी सम्पत्ति की 'इन्वेन्ट्री' का सवाल है। 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 2 (d) में दी गई 'इन्वेन्ट्री' की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है :–

"2 (d) "**Inventory**" means the inventory of the properties of the Ruler prepared in pursuance of Article XII of the Covenant and finally approved by the Government of India."

इस 'इन्वेन्ट्री' की प्रकशित सूची बीकानेर 'एस्टेट' के प्लान 3 में गजनेर 'एस्टेट' की निजी सम्पत्ति का निम्नानुसार उल्लेख है :–

" The property known as "Gajner Estate" including the palaces together with the Lakes and the landing strip within the area demarcated by boundary pillars."

इसके अनुसार गजनेर 'एस्टेट' की सम्पत्ति में महल, झीलें, 'लेडिंग स्ट्रिप' जो बाउण्ड्री पिलर्स के रूप में रेखांकित क्षेत्र में शामिल है उन्हें ही 'इन्वेन्ट्री' में सम्मिलित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में व बहस के दौरान जो नक्शा प्रस्तुत किया गया उसके सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि बाउण्ड्री पिलर्स का क्षेत्र जो कि लाल स्याही से रेखांकित है वह सभी गजनेर 'एस्टेट' का भाग है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि तीतरों का बाडा, सुअरों का बाडा, ओरण भूमि, बावडी व सडक आदि ऐसी भूमियां हैं जिसका उल्लेख 'इन्वेन्ट्री' की सूची में विशिष्ट रूप से अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल वे ही सम्पत्तियां 'इन्वेन्ट्री' के रूप में निजी सम्पत्तियां मानी जा सकती हैं जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन शासक डॉ0 करणीसिंह व भारत सरकार के बीच में

सत्य प्रतिलिपि
निरीक्षक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

समझौता हुआ हो और उस समझौते के अनुसार समझौता पत्र, निजी सम्पत्तियों की भूमि की सूचियां तथा निजी भूमि जो कि किसी मानचित्र पर दर्शायी गई हैं व उसके सम्बन्ध में पूर्व शासक डॉ0 करणीसिंह या उनके प्रतिनिध एवं भारत सरकार के अधिकृत अधिकारी के मध्य हस्ताक्षर हुए हों। दूसरे शब्दों में जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी हो। ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता हो कि समझौते अथवा उसकी पालना में तैयार की गई 'इन्वेन्ट्री' की सूची अथवा नक्शें में उन निजी सम्पत्तियों को रेखांकित किया हो जो भारत सरकार से अनुमोदनशुदा हो। 'इन्वेनट्री' की अधिसूचित सूची जिसे राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर द्वारा प्रकाशित भी किया गया है के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस 'इन्वेन्ट्री' की सूची में तीतरों का बाडा, सुअरों का बाडा व अन्य ऐसी भूमियां जो 'लैण्ड ऑनर्स' के घरेलू अथवा कृषि प्रयोग में नहीं आने के कारण या महल के enclosure में न होने के कारण इन्हें निजी सम्पत्तियों में सम्मिलित नहीं किया गया। राजस्थान राज्य बनाम भवानीसिंह पूर्व शासक जयपुर के मामले में पारित निर्णय 1980 डब्लू.एल.एन. 295 में यह निर्धारित किया हुआ है कि 'लेन्डऑनर' को अवाप्ति से अपनी भूमि बचाने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि भूमि पर महल, भवन, या भवन प्लाट बने हैं या कि वह 'इन्वेन्ट्री' में विशिष्ठ रूप से दर्शाई गई हो। इस मामले में जिन भूमियों को अधीनस्थ न्यायालय ने अवाप्त किया है वह 'इन्वेन्ट्री' में विशिष्ठ रूप से नहीं दर्शाई गई है। अपीलांट भी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि तीतरों का बाडा, सुअरों का बाडा, ओरण, पायतन, सडक इत्यादि की भूमि किस प्रकार निजी सम्पत्ति में शामिल है। क्योंकि कोई ऐसा दस्तावेज या मानचित्र जिसमें इन भूमियों को सम्मिलित किया हुआ हो और जिस पर समझौते (Covenant) के अनुसार भारत सरकार के सक्षम प्रतिनिधि व पूर्व शासक डॉ0 करणीसिंह के बीच हस्ताक्षर हुए हों। जब तक ऐसा साबित नहीं हो जाता तब तक केवल पूर्व शासक या उनके अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये गजनेर 'एस्टेट' के नक्शें में लाल स्याही से सीमांकित क्षेत्र दर्शाने मात्र से ऐसे दस्तावेज को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कोई अधिकृत व मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं है। हमने भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शासन उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नक्शे की सही प्रतिलिपि का अवलोकन किया। इस नक्शे से यह प्रमाणित नहीं होता कि

सत्य प्रतिलिपि
COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

यह नक्शा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते का भाग हो जिस पर तत्कालीन शासक व भारत सरकार के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हो। इसलिए इस दस्तावेज से किसी प्रकार का अनुतोष अपीलांट प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अवाप्त की गई भूमि को 'इन्वेन्ट्री' में या 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 10 (1) में शामिल न मानकर अवाप्त किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं की है। यधपि विवाद बिन्दु बनाते समय उसमें धारा 10 (2) सहवन से अंकित कर दिया है जबकि धारा 10 (2) तो रेफरेन्स के लिये है। धारा 10 (1) ही अवाप्त से मुक्त की जाने वाले सम्पत्तियों से सम्बन्धित है। लेकिन इससे निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं होता।

9. जहां तक विद्वान वकील की दूसरी आपत्ति, कि विवादित भूमियां 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 2 (f) में परिभाषित भूमि में नहीं आती, का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में धारा 2 (f) को उद्धरित किया जाना उचित प्रतीत होता है :–

" 2 (f) **"Land"** means and land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto including waste land, forest land, land for pasture or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural labourers and village artisans and includes-

(a) tanks, lakes, ponds, river and water channels held for purposes of irrigation,

(b) surface of hills,

(c) landing grounds or strips, and

(e) shikargah,

but does not include forts, palace buildings and buildings plots, specified in the inventory)"

उक्त परिभाषा के अवलोकन से प्रकट होता है कि भूमि की परिभाषा में अन्य भूमियों के अलावा पडत भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि, पहाडियों के तल की भूमियां भी शामिल हैं। स्वयं अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में कथन किया कि यह भूमि खेती के काम में नहीं आती। यह भूमि कंकरीली पथरीली है, इस पर वन खडे हैं कुछ झीलें भी है जिसमें तीतर, साइबेरियन पक्षी, हिरन आदि आते हैं। अखिल भारतीय उत्थान संस्थान

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोजनार्थ

के विद्वान वकील का भी यही कथन है कि उनकी संस्था का उद्देश्य भी वन्य जीव व वनस्पति के संरक्षण का है। इससे ही स्पष्ट है कि वन्य जीवों और वनस्पति व घास उगाने व पक्षियों (स्थानीय व प्रवासी पक्षी) के शरण स्थल के रूप में इसका उपयोग हो रहा है और यह उपयोग निश्चित रूप से पडत भूमि, वन भूमि व चारागाह भूमि में सम्मिलित होता है जो भूमि की परिभाषा में शामिल है। यह भूमि घरेलू या कृषि प्रयोग में नहीं आती। अधीनस्थ न्यायालय ने इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में भूमि के सम्बन्ध में और विस्तृत विवेचन किया है जिससे हम उक्त विवेचन के सन्दर्भ में सहमत हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद बिन्दु 2 का विनिश्चयन भी इसी आधार पर कर अपीलांट के विरूद्ध किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं की है।

10. अपीलांट का यह कथन कि प्रश्नगत भूमियां 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 10 (1) के तहत अवाप्ति से मुक्त है। इस धारा 10 (1) (a) (i) में यह उल्लेख है कि :–

" all open enclosures in the possession of the landowner and for agricultural or domestic purpose."

इस तरह की सम्पत्तियों में वे भूमियां भी शामिल हैं जो कि 'लैण्डऑनर' के कब्जे में है तथा उसके निजी, कृषि अथवा घरेलू उपयोग में आती है। धारा 10 (1) (a) (ii) (iii), 10 (1) (b), एवं 10 (1) (c) में जो भूमियां भवन, कुएं, मकान व enclosure आते हैं उन्हें तो पूर्व में ही कलक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.12.75 द्वारा अंवाप्ति से मुक्त कर दिया गया था। केवल 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 10 (1) (a) (i) के सम्बन्ध में ही विवाद है। अपीलांट प्रश्नगत भूमियों को अपने घरेलू उपयोग हेतु मानते हुए open enclosure में मानते हुए उसे अवाप्ति से मुक्त करवाना चाहते हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में तनकी नं0 1 का निर्णय करते समय यह स्पष्ट माना गया कि इन भूमियों को घरेलू प्रयोजनार्थ open enclosure की परिभाषा में नहीं माना जा सकता। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं। इस धारा की व्याख्या करते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। घरेलू उपयोग का सर्वसामान्य और सर्वमान्य अर्थ यह है कि जो परिवार विषयक परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने अथवा उनको पूरा करने के लिए आवश्यक होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय में

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

अपीलांट की तरफ से हुए गवाहों के बयानों से भी यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि इन भूमियों का उपयोग जंगली जानवरों, ब्लेक बक, साईबेरियन पक्षी, तीतर और स्थानीय पक्षी आदि के उपयोग में आता है। इन जंगली जानवरों, पक्षियों के चरने के लिए घास, चारागाह व पीने के पानी हेतु बन्ध, झील आदि बने हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि निजी व घरेलू उपयोग में न आकर सार्वजनिक उपयोग में आती है। तीतर, सुअर व अन्य वन्य जीवों एवं पक्षियों का बडे पैमाने पर संरक्षण आदि को निजी व घरेलू उपयोग नहीं माना जा सकता और वह भी 15000 बीघा से भी अधिक इतने बडे क्षेत्र में। यह कतई मानने योग्य नहीं है। क्योंकि कानून की भी कतई यह मंशा नहीं है कि वन्य जीव, पक्षी व वनों को निजी सम्पत्ति के रूप में रखा जावे। अतः इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायाल का निर्णय न्यायसंगत है।

11. विद्वान वकील अपीलांट ने मण्डल के पूर्व सदस्य श्री के. एस. लोढा जिन्होंने क्षतिपूर्ति आयुक्त के रूप में मौके का निरीक्षण किया उस निरीक्षण नोट की तरफ ध्यान दिलाया। इस मौका निरीक्षण नोट दिनांक 8.8.1980 का भी अवलोकन किया गया। उसमें भी यह स्पष्ट लिखा है कि गजनेर महल व झील के चारों ओर कुछ क्षेत्र 'स्पोर्टस कॉम्पलेक्स' के रूप में बनाया गया जिसकी यधपि बाउण्ड्री वॉल व वायर फेन्सिंग नहीं है। इस कॉम्पलेक्स में गोल्फ कोर्स, शूटिंग रेन्ज व होर्स राइडिंग व जम्पिंग का स्थान है। कुछ स्थान पूर्व शासक के निजी पशुओं के चरने के लिए है। लेकिन इस निरीक्षण रिपोर्ट में अथवा उसके साथ कोई नक्शा जिसमें क्षेत्र चिन्हित किया गया हो उसका उल्लेख नहीं है जिससे कि यह माना जा सके कि गोल्फ कोर्स, शूटिंग रेन्ज, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स आदि किस भूमि में स्थित है। हो सकता है कि ये सभी सुविधाएं उस भूमि पर स्थित हों जो कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.12.75 में अवाप्ति से मुक्त 224 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो छोडी गई उसका हिस्सा हो। इसलिए इस निरीक्षण रिपोर्ट का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का निश्चित क्षेत्र चिन्हित नहीं है जो कि पूर्व में अवाप्ति से मुक्त भूमि से बाहर बताया गया हो। यदि स्पोर्टस कॉम्पलेक्स 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' लागू होने के बाद में अवाप्तशुदा भूमि पर बनाया गया है तो भी उसको भी मान्यता नहीं

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मंडल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोजनार्थ

दी जा सकती। क्योंकि मौका निरीक्षण दिनांक 8.8.1980 एक्ट के लागू होने की तिथि 12.4.64 एवं Vesting की तिथि 1.9.64 के बाद किया गया है।

12. जहां तक enclosures का सवाल है केवल कृषि एवं घरेलू कार्य हेतु भू-स्वामी के कब्जे में खुला enclosure ही 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 10 (1) (a) (i) में अवाप्ति से मुक्त है। चूंकि यह सिद्ध है कि अवाप्तशुदा विवादित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ व निजी घरेलू प्रयोजनार्थ नहीं है इसलिए यदि बाद में किसी स्तर पर कोई तारबन्दी/मेडबन्दी (enclosure) कर भी दी गई है तो उसे कृषि प्रयोजनार्थ या घरेलू प्रयोजनार्थ नहीं माना जा सकता जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है। इसलिए अपीलांट का यह कथन कि उक्त भूमियां 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 10 (1) (a) (i) में अवाप्ति से मुक्त हैं, स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विषय पर विवाद बिन्दु 1 के सम्बन्ध पारित निर्णय में विस्तृत विवेचन किया है जिससे हम पूर्णतः सहमत हैं।

13. विद्वान वकील अपीलांट कि एक अन्य आपत्ति यह है कि तीतरों का बाडा क्षेत्र की 4037 बीघा 5 बिस्वा भूमि तत्कालीन शासक डॉ0 करणीसिंह ने अपने पुत्र नरेन्द्रसिंह को वर्ष 1970 में ही भूमि का बेचान कर दिया था जो 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की संशोधित धारा 7 A जिसमें इस प्रकार के हस्तान्तरण पर रोक है के प्रभाव से मुक्त है। चूंकि यह संशोधन सन् 1975 में आया था। इसलिए 1975 के पूर्व नरेन्द्रसिंह को किया गया बेचान व नरेन्द्रसिंह द्वारा अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान को किये गये अर्पण पर 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 7 A के प्रावधान लागू नहीं होते। धारा 7 A के प्रावधान सन् 1975 के बाद हुए हस्तान्तरण पर प्रभावी माने जा सकते हैं इसके पूर्व के हस्तान्तरण पर इसका प्रभाव नहीं है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद बिन्दु 3 में अपना निर्णय दिया है जो विधि सम्मत है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 7 A निम्नानुसार है:-

" **7 A. Non-recognition of cetrain transfer and agreements** :- Notwithstanding anything contained in any law or judgment, decree or order of a court to the contrary,-

सत्य प्रतिलिपि
निरीक्षक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

(i) No transfer of an estate liable to acquisition under this Act or part thereof made by the landowner on or after the date of commencement of this Act and before the date of vesting, whether by way of sale, mortgage, gift, exchange, lease, assignment, surrender, bequest creation of trust or otherwise, shall be recognised for any purpose of this Act and the estate or part so transferred shall be deemed to continue to vest in the landowner ;

(ii) all transfers of an estate liable to acquisition under this Act or part thereof the nature referred to in clause (i) made by the landowner on or after the date or vesting shall be null and void ; and

(iii) any agreement made by a landowner with any other person on or after the commencement of this Act for transfers of his estate liable to acquisition under this Act or part thereof or for relieving, whether in whole or in part, a tenant from liability for payment of rent of any land comprised in his estate shall be and is here by declared to be null and void."

14. धारा 7 A Rajasthan Land Reforms & Acquisition of Landowners Estate (Amendment) Act, 1975 (Raj. Act No. 15 of 1975) (संक्षेप में संशोधन अधिनियम) द्वारा मूल अधिनियम की पूर्व धारा 8 के स्थान पर अधिसूचना दिनांक 26.3.75 द्वारा संशोधन कर प्रतिस्थापित की गई, जिसका प्रकाशन राजस्थान असाधारण राज पत्र पार्ट IV-A दिनांक 26.3.75 में हुआ। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि– "This section 8 was substituted and shall be deemed always to have been substituted" का अंकन है। इससे यह अभिप्राय है कि धारा 7 A के संशोधन का प्रभाव 'एस्टेट' का राज्य सरकार में निहित होने की तारीख अर्थात् दिनांक 1.9.64 से है जबकि पूर्व शासकों की 'एस्टेट' को राज्य सरकार में निहित होना माना गया। इस प्रकार धारा 7 A का प्रभाव पूर्वगामी उसी तिथि से है जिस तिथि से पूर्व शासकों की 'एस्टेट' राज्य सरकार में निहित हो गई। विद्वान वकील अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1976 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 2363, ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 311 एवं ए.आई.आर. 1974 केरल पृष्ठ 28 का अवलोकन किया जिसमें

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय ...

अधिनियम की किसी धारा के संशोधन को पूर्व प्रभाव (Restrospective effect) से न मान कर उत्तरप्रभावी (Prospective) मानने के निर्णय है। उक्त निर्णय इस मामले में इसलिये लागू नहीं होते क्योंकि उन मामलों में संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से लागू होने का उल्लेख नहीं था जबकि वर्तमान मामले में संशोधन अधिनियम 1975 में संशोधित धारा 7 A का प्रभाव एवं पूर्ण संशोधन नियम 1975 का प्रभाव ही उक्तानुसार उसी तिथि से माना गया है जिस तिथि को अधिनियम के तहत 'एस्टेट' राज्य सरकार में निहित हो गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायाल ने डी.बी. स्पेशियल अपील सं0 10, 15, 17 एवं 48/70 व 291/71 राज्य बनाम गायत्री देवी, महाराज बृजराजसिंह बनाम राज्य, ले.क. भवानी सिंह बनाम राज्य व अन्य, राज्य बनाम गणेशपाल, राज्य बनाम गीता कुमारी में पारित निर्णय आर.आर.डी. 1980 पृष्ठ 307 में सम्पूर्ण संशोधन अधिनियम 1975 ही पूर्वगामी प्रभाव से लागू माना है अर्थात् 1.9.64 से प्रभावी माना है। अतः धारा 7 A के प्रावधान भी पूर्वप्रभावी हैं। इसलिए पूर्व शासक डॉ0 करणीसिंह द्वारा दिनांक 28.2.70 को नरेन्द्रसिंह के पक्ष में किया गया बेचान पत्र कानून की नजर में शून्य और अप्रभावी है और इसके पश्चात् नरेन्द्र सिंह द्वारा अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान के पक्ष में किया गया 'डेडीकेशन' भी प्रभावशून्य हो जाता है। इसलिए कानून की इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद बिन्दु सं0 3 पर जो अपना निष्कर्ष दिया उससे हम पूर्णतः सहमत हैं।

15. जहां तक विवाद बिन्दु सं0 4 का प्रश्न है जब विवाद बिन्दु सं0 3 ही अपीलांट के विरूद्ध निर्णित हो गया है तो विवाद बिन्दु सं0 4 जिसमें यह कथन किया गया कि जिला जज, बीकानेर द्वारा अखिल भारतीय सार्वजनिक उत्थान संस्थान के पक्ष में पारित पंचाट के आधार पर नरेन्द्रसिंह द्वारा संस्थान के हक में किये गये हस्तान्तरण को सही मान लिया जावे उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद बिन्दु सं0 4 में इस पर विस्तृत विवेचन किया है प्रथम तो जिला जज के न्यायालय में चली कार्यवाही में राज्य सरकार पक्षकार नहीं थी इसलिए जिला जज का निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। द्वितीय जिला जज के समक्ष यह बिन्दु विचारणीय नहीं था कि विवादग्रस्त भूमि निजी सम्पत्ति है अथवा नहीं। न ही भारत सरकार व पूर्व शासक के बीच में हुए समझौते का

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARED BY

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोगार्थ

विषय ही जिला जज के समक्ष विचारणीय था। इसलिए जिला जज का निर्णय न तो 'रेसज्यूडिकेटा' का प्रभाव करता है और न ही 'एस्टोपल' का और न ही राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। फिर इस सम्बन्ध में जैसा कि ऊपर निर्णय दिया गया है कि विवाद बिन्दु सं0 3 के अनुसार जब पूर्व शासक डॉ0 करणी सिंह द्वारा अपने पुत्र नरेन्द्रसिंह के पक्ष में किया गया बेचान ही 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' की धारा 7 A के प्रावधानों के अनुसार शून्य एवं अवैध है तो इसके बाद नरेन्द्रसिंह द्वारा पश्चात्वर्ती हस्तान्तरण भी कानून की नजर में शून्य और प्रभावहीन हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, अतः उसको कोई मान्यता नहीं दी जा सकती।

16. उक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चारों विवाद बिन्दुओं पर जो निर्णय पारित किया वह रिकार्ड, साक्ष्य एवं कानूनी स्थिति के परिपेक्ष्य में सुविचारित एवं सुविवेचित निर्णय है जो विधि सम्मत है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप पूर्व शासक "लेन्डऑनर' डॉ0 करणीसिंह की गजनेर 'एस्टेट' की विवादास्पद भूमियां जिनमें से कलक्टर, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.12.75 द्वारा 224 बीघा 4 बिस्वा भूमि को छोडकर शेष सभी भूमियां 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' के अन्तर्गत अवाप्त करने के आदेश हैं जिसे क्षतिपूर्ति आयुक्त ने यथावत रखा है उसके अनुसार ही भूमि को 'एस्टेट एक्वीजिशन एक्ट' धारा 7 के अन्तर्गत अवाप्त की जाती है।

17. फलस्वरूप उक्तानुसार दोनों अपीलें खारिज कर निस्तारित की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम. एल. जैन)
सदस्य

(बी. बी. महान्ति)
सदस्य

COMPARED BY
25/9/23

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मंडल राजस्थान
अजमेर